

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

08 / 2024

श्री मिर्जा खलीक उल्ला बैग एडवोकेट अदालत परिसर टोंक

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 1.05.2024

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

दिनांक 7.11.1974 को श्रीमती अजीज उज्जमानी बेगम द्वारा क्रेता मिर्जा सफीउल्लाह बैग के नाम विक्रय पत्र पंजीयन कराया था जो पृष्ठ संख्या 1 क्रम संख्या 709 पृष्ठ संख्या 271 से 277 पर चरपा किया गया जिसके साथ ब्लूप्रिंट भी था उस ब्लूप्रिंट की नकल दी जावे।

(नोट— उपपंजीयन कार्यालय टोंक के पत्र अनुसार नक्शे का रिकार्ड 1.08.1969 से 12.12.1969 तक एवं दिनांक 21.01.1975 से प्राप्त हुआ है) 1974 का रिकॉर्ड आपके कार्यालय में ही है श्रीमान और पंजीयन के पत्र की फोटोकॉपी संलग्न हैं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को पत्र क्रमांक 260 दिनांक 11.03.2024, को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ने पत्र क्रमांक 2460 दिनांक 14.03.2024 से जवाब प्रेषित कर अपीलान्त द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख किया है, परन्तु जवाब में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्त द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित रिकार्ड किस कार्यालय में जमा करवाया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(डॉ. सी. आर. झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक